(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 64 / 2017 / राजस्व वाद

उनवान

1. फूलचन्द पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
2. गंगाबाई पुत्री पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
2. हजारीलाल पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
3. सीताराम पि. मुकन्द जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
4. सांवरलाल पि. मनोहरलाल जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 183 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय दिनांक : 3.6.2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम चवण्डिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 59 आराजी ख.नं. 481 / 158 रकबा 0.2403 हेक्टर (19 बिस्वा) भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188 , 183 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवारा राजस्व केम्प में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड में किया गया थ एवं नामा.तस्दीक किया था लेकिन मौके पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की 19 बिस्वा भूमि का कब्जा हस्तान्तरण नहीं किया जिसकी वजह से वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के हिस्से 19 बिस्वा आराजी पर जबरन अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा प्रतिवादीगण 4 जिसका वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है जबरन तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.06.10 14:29:40 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

(सन्तोष कुमार मीना,)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(6)

बल पर वादीगण को धमकाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई बहिन है एवं आपसी सहमति से बंटवारा करवाया गया है। इसके बावजूद वादीगण को उनके हिस्से की आराजी का कब्जा प्रतिवादीगण देने को तैयार नहीं है। वाद कारण दिनांक 02.07.2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की 19 बिस्वा भूमि पर कब्जा देने के लिये कहा एवं वे इंकार हो गये।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम चवण्डिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 59 आराजी ख.नं. 481/158 रकबा 0.2403 हेक्टर (19 बिस्वा) भूमि पर वादीगण को कब्जा दिलवाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को काश्त करने से नहीं रोके। वाद पत्र के साथ ग्राम चवण्डिया की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 121 की नकल , खसरा गिरदावरी एवं नक्शा ट्रेस की नकल पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री मसूद अहमद खान ने वकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया एवं प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वाद द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2072–75 की नकल प्रस्तुत कर वादगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकील वादी द्वारा की गई बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम चवण्डिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 59 आराजी ख.नं. 481/158 रकबा 0.2403 हेक्टर (19 बिस्वा) भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि है जो कि आपसी सहमति से बंटवारा होकर नामा.सं. 403 से वादीगण के खाते दर्ज हुई है जिस पर कब्जा काश्त करने के वादीगण अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.06.10 14:29:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रस्तुत वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चवण्डिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 59 आराजी ख.नं. 481/158 रकबा 0.2403 हेक्टर (19

COURT 2022

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

बिस्वा) भूमि में वादीगण को कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.06.10 14:29:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 64/2017/राजस्व वाद

उनवान

1. फूलचन्द पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
2. गंगाबाई पुत्री पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर – वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
2. हजारीलाल पि. धूला जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
3. सीताराम पि. मुकन्द जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
4. सांवरलाल पि. मनोहरलाल जाति दांगी नि. चवण्डिया तहसील रायपुर
5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 183 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चवण्डिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 59 आराजी ख.नं. 481/158 रकबा 0.2403 हेक्टर (19 बिस्वा) भूमि में वादीगण को कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.06.22 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दा[illegible] स्टाम्प अर्जी महन्ताना व[illegible] खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत् इजराय हु[illegible] मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.06.10 14:29:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़